NAGAR NIGAM, GORAKHPUR

E-Tender Notice

No. 342 **/AMC-II/NNG/2025-26** **Dated :-** 19 **/03/2026**

Nagar Nigam, Gorakhpur re-invites the specified work through e-Procurement, in accordance with the terms and conditions outlined in this advertisement and the detailed tender call notice. The bidding process will follow a two-bid system, and interested bidders must meet the eligibility criteria specified in this notice, along with other qualifying requirements mentioned in the tender documents. Eligible bidders may participate in the bidding process after registering on the e-Tendering portal http://etender.up.nic.in. The tender documents can be downloaded from the same portal upon payment of the tender cost via online payment in the name of Nagar Nigam Gorakhpur, Bank Name- **IDFC First Bank. Account No.- 10174963707 (IFSC Code; IDFB0021561) IDFC First Bank, Branch- Park Road, Gorakhpur.** Bidders will have to upload the scanned copy of transaction slip along with technical bid failing this; the Bid is liable to be rejected. The Bidder should deposit the Earnest Money online in above mentioned account. The bidders should have necessary Portal enrollment (Digital Signature Certificate) under e-procurement process of Govt. of Uttar Pradesh in required class/category. In case of any queries on this Tender Documents, intending bidders may contact Assistant Engineer (Path Prakash), Nagar Nigam, Gorakhpur (Tel. No: -8810709316)

Name of the Work	Earnest Money Deposit (Rs.)	Tender fee with GST @ 18%
Complete Repair Work & Maintenance of existing installed CCMS under the jurisdiction of Nagar Nigam Gorakhpur	Rs. 1,20,000.00 (One lakhs twenty Thousand only)	Rs. 5,900/- (including GST)

Time Schedule for Bidding:

S. No.	Description	Date
1.	Start date of Tender document download	23.03.26
3.	Last date of Online submission of proposal	01.04.26 : till 05:00 PM
4.	Opening of Technical proposal	02.04.26 : at 12:00 PM
5.	Opening of financial proposal	Will be communicated.

1. Other details can be seen on website **http://etender.up.nic.in** (for view, download and bidding).
2. Subsequent corrigendum, if required, shall appear in these websites.
3. Municipal Commissioner, Gorakhpur reserves the right to reject any or all the tenders without assigning any reasons
4. Contractor who wants to participate in bid must register themselves on http://etender.up.nic.in
5. For any other queries, please contact Assistant Engineer (Path Prakash), Nagar Nigam Gorakhpur. Also, for any further queries, and pre-bid queries, the bidders are advised to send an **email to: streetlightnngkp@gmail.com and Cc to nagarnigmgkp@gmail.com**

19.3.26

Additional Municipal Commissioner-II
Nagar Nigam, Gorakhpur

कार्यालय : पथ प्रकाश, नगर निगम गोरखपुर

कार्यालय पथ प्रकाश द्वारा नगर निगम गोरखपुर क्षेत्रान्तर्गत स्थापित सी.सी.एम.एस (CCMS) की विद्यमान प्रणाली के उपकरणों के रख-रखाव और मरम्मत से संबंधित समग्र कार्य कराए जाने हेतु, न्यूनतम निविदादाता का चयन निर्धारित निविदा शर्तों पर किया जाना है।

निविदा शर्ते निम्नवत है :-

1. निविदादाता को निविदा शुल्क रु० 5900.00 (जी०एस०टी० सहित) एवं निविदा धरोहर धनराशी रु० 1,20,000.000 (जी०एस०टी० सहित) की जमा पर्ची की प्रति निविदा प्रपत्र के साथ संलगन करना अनिवार्य होगा।
2. उपरोक्त भुगतान RTGS / NEFT की स्थिति में खाता संख्या: **10174963707 (IFSC: IDFB0021561)**, ब्रांच – IDFC First Bank Gorakhpur में किया जायेगा। FDR की स्थिति में प्रभारी अधिकारी पथ प्रकाश, नगर निगम गोरखपुर के पक्ष में बंधक किया जायेगा।
3. निविदादाता द्वारा "क" श्रेणी का अनुमोदित विद्युत लाइसेंस, विद्युत सुरक्षा निदेशालय से निर्गत वैध प्रमाण पत्र निविदा प्रपत्र के साथ जमा करना अनिवार्य है।
4. यह निविदा नगर निगम गोरखपुर में स्ट्रीट लाइटों के संचालन हेतु पूर्व से (मे० मैट्रिक्स मीटर) से स्थापित लगभग 1022 संख्या में सी०सी०एम०एस० के वार्षिक रख-रखाव एवं संचालन हेतु एक वर्ष के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। कार्य संतोषजनक किये जाने पर कार्य की आवश्यकता उपरांत सक्षम स्तर से स्वीकृति के उपरांत 01 वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए निर्णीत फर्म की कार्यावधि विस्तार पर विचार किया जायेगा।
5. निविदादाता द्वारा जी०एस०टी० सर्टिफिकेट, पैन कार्ड की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
6. निविदादाता को जिलाधिकारी कार्यालय से निर्गत वैध चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
7. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ आई०एस०ओ० 9001 का वैध प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा
8. निविदादाता को निविदा प्रपत्र के साथ हैसियत प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा, जो की रुपए 30 लाख से कम न हो।
9. निविदादाता को विगत 03 वर्षों का (2022-23, 2023-24, 2024-25) चार्टेड अकाउंटेंट से जारी, रुपए 20 लाख औसत वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र UDIN नंबर सहित जमा करना अनिवार्य होगा।
10. निविदादाता का सर्विस सेण्टर नगर निगम गोरखपुर के अंतर्गत होना अनिवार्य है जिससे समबन्धित नोटरीकृत स्व-प्रमाणित प्रपत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा।
11. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का (2022-23, 2023-24, 2024-25) की आयकर रिटर्न के प्रपत्रों की प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा।
12. निविदादाता को विगत तीन वर्षों का (2022-23, 2023-24, 2024-25) के बैलेंस शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
13. निविदादाता द्वारा स्वयं उपक्रम के रूप में यदि ई-निविदा में भाग लिया जाना है तो उपकम (पार्टनरशिप / प्राइवेट लि०/प्रोपराइटर फर्म/पी.एस.यू इत्यादि) का पंजीकरण कम्पनी अधिनियम-1956/2013 (भारतीय कम्पनीज)

के अन्तर्गत है, से सम्बन्धित समस्त विवरण (अधिग्रहण, मर्जर, खरीदारी / बाहरी खरीदे / नाम स्थानांतरण इत्यादि) सहित कानूनी प्रपत्रों की प्रति का विद्युतीयकरण से सम्बन्धित आपूर्ति एवं स्थापना से सम्बन्धित अनुभव प्रपत्र ही अनुभव के रूप में मान्य होगें। जिसके सम्बन्ध में पॉवर ऑफ आर्टनी की पंजीकृत / नोटरी की मूलप्रति निविदा के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य होगा।

14. निविदादाता के द्वारा कार्य अनुभव के रूप में विगत तीन वर्षों में धनांक रू० 25.00 लाख के समतुल्य समान प्रकार के कार्य से सम्बन्धित (कार्यादेश अथवा भुगतान प्रपत्र अथवा कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र) के (3) तीन पृथक-2 एकल कार्यों के अनुभव प्रपत्र की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

अथवा

निविदादाता के द्वारा कार्य अनुभव के रूप में विगत तीन वर्षों में धनांक रू० 30.00 लाख के समतुल्य समान प्रकार के कार्य से सम्बन्धित (कार्यादेश अथवा भुगतान प्रपत्र अथवा कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र) के (02) दो पृथक-2 कार्यों के अनुभव प्रपत्र की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

अथवा

निविदादाता / संयुक्त उपक्रम के द्वारा कार्य अनुभव के रूप में विगत तीन वर्षों में धनांक रू० 50.00 लाख के समतुल्य समान प्रकार के कार्य से सम्बन्धित (कार्यादेश अथवा भुगतान प्रपत्र अथवा कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र) के एकल कार्य का अनुभव प्रपत्र की प्रति अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

15. निविदा स्वीकृत होने के उपरांत निविदादाता द्वारा नियमानुसार निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबंध के साथ नियमनुसार कार्यादेश की कुल 10 प्रतिशत धनराशी एफ०डी०आर० के रूप में प्रभारी पथ प्रकाश (पथ प्रकाश), नगर निगम गोरखपुर के नाम बंधक करते हुए जमा करनी होगी।
16. निविदादाता फर्म किसी सरकारी / अर्द्धसरकारी, विभाग में काली सूची में दर्ज न होने का शपथपत्र निविदा तिथि से 03 माह पूर्व का मान्य नहीं होगाए अपलोड कराया जाना अनिवार्य होगा।
17. श्रम विभाग में पंजीकरण की स्वप्रमाणित छाँयाप्रति संलग्न करना होगा।
18. प्रत्येक निविदादाता द्वारा नॉन-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर समस्त सूचनायें सही होने का शपथ-पत्र उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।
19. निविदा निर्णीत होने के उपरान्त विभाग द्वारा मॉगी गयी जमानत एवं परफारमेन्स सिक्योरटी की धनराशि नियमानुसार देय होगी।
20. जी०एस०टी० का भुगतान फर्म को नियमानुसार किया जाएगा।
21. निविदा में कोई भी संशोधन / परिवर्तन की सूचना को वेबसाइट पर ही अपलोड कर प्रकाशित किया जाएगा।
22. निविदादाता द्वारा कार्यादेश प्राप्ति के उपरान्त कार्य से पूर्व व कार्य उपरान्त की जी.पी.एस. मैपिंग का चित्र व स्थलवार / वार्डवार / सी०सी०एम०एस० का प्रकार/निर्माता कम्पनीवार विभागीय अवर अभियन्ता से सत्यापित चार्ट प्रतिमाह भुगतान के समय उपलब्ध कराया जाना होगा, जिसके उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जाएगी।
23. अर्ह निविदादाता को कार्यादेश में अंकित समय के अन्तर्गत ही कार्य को संम्पादन कराया जाना होगा। समयान्तर्गत कार्य न कराये जाने की स्थिति में आर्थिक दण्ड/कालीसूची या दोनों कार्यवाही की जा सकती है।

24. निविदादाता द्वारा स्थल पर स्थापित कराये गये सी०सी०एम०एस० के स्थलीय रख-रखाव व सुरक्षा की जिम्मेदारी नगर निगम को हस्तांतरित किये जाने तक का उत्तरदायित्व निविदित फर्म का ही होगा जिसके अन्तर्गत प्रत्येक सी०सी०एम०एस० के अनुरक्षण से सम्बन्धित रजिस्टर / प्रपत्र तैयार किये जाने का उत्तरदायित्व निविदित फर्म का ही होगा जिसे नगर निगम को हस्तातरण के समय उपलब्ध कराया जाना होगा।

25. निविदादाता को स्थापित कराये गये सी०सी०एम०एस० के बंद होने की विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों का निराकरण 24 घंटे के अंदर अथवा विशेष परिस्थितियों में तत्काल स्थल पर कार्य कराया जाना आवश्यक होगा। उक्त का पालन न किये जाने पर निम्नानुसार पेनाल्टी फर्म पर लगायी जाएगी।

सी०सी०एम०एस० के खराब होने का अंतराल	**पेनाल्टी का प्रकार**
0 – 24 घंटा	AMC के मासिक दर का 0 % की कटौती
24 – 48 घंटा	AMC के मासिक दर का 10 % की कटौती
48 – 72 घंटा	AMC के मासिक दर का 25 % की कटौती
72 – 96 घंटा	AMC के मासिक दर का 50 % की कटौती

उपरोक्त कटौती के साथ-साथ 96 घंटे से अधिक होने पर निम्न कार्यवाही की जा सकती है :

- जमानत की धनराशि जब्त की जा सकती है।
- फर्म को काली सूचि में डाला जा सकता है।
- उपरोक्त दोनों कार्यवाही की जा सकती है।

26. सम्बन्धित फर्म द्वारा सी०सी०एम०एस० का ऑनलाइन मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाना होगा एवं साफ्टवेयर को एसेस करने लिए लिंक/आई०डी० को नगर निगम के कंट्रोल रूम को शेयर करना होगा।

27. नगर निगम के कंट्रोल रूम से शिकायतों को प्राप्त करने एवं उसके निस्तारण हेतु फर्म को पर्याप्त कर्मचारी नियुक्त करना होगा।

28. सॉफ्टवेयर द्वारा प्राप्त किए गए सी०सी०एम०एस० की स्थिति एवं क्षेत्र में स्थापित सी०सी०एम०एस० की वास्तविक स्थिति में भिन्नता सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट के कारण आती है तो इसे गंभीरता से संज्ञान में लेकर 24 घंटे के अंदर ठीक कराया जाना होगा अन्यथा अर्थदण्ड / कालीसूची में दर्ज किये जाने एवं अन्य प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी।

29. निविदा में प्रतिभाग करने वाली तकनीकी रूप से अर्ह फर्मों के द्वारा सहमति के आधार पर L-1 की दरों पर कार्य कराया जा सकता है जिसमें किसी भी निविदादाता को कोई आपत्ति नहीं होगी।

30. बिल आफ़ क्वांटिटी (BOQ) में यूनिट रेट दर्ज करनी होगी, जिसके आधार पर 1022 CCMS का अनुरक्षण का कार्य कराया जाएगा।

31. एक अथवा सभी निविदादाताओं की निविदा को बिना कारण बताये किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर में निहित होगा एवं किसी भी शर्त को संशोधित एवं समाप्त करने का पूर्ण अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर के अधिकार क्षेत्र में होगा।

32. किसी भी वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र गोरखपुर होगा।

33. ई-निविदा में प्राप्त निविदाओं की स्वीकृति पर निर्णय नगर आयुक्त नगर निगम का अन्तिम एवं मान्य होगा।

34. निविदा में प्रतिभाग हेतु नगर निगम में पंजीकृत होना आवश्यक नहीं है। न्यूनतम निविदा धारक को सफल होने पर नियमानुसार पंजीकरण कराना आवश्यक होगा।

35. कार्य पूर्ण होने के 1 वर्ष की डिफेक्ट लायबिलिटि पीरियड के उपरान्त कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ही जमानत धनराशि अवमुक्त किया जाएगा।

अवर अभियंता (पथ प्रकाश) **सहायक अभियंता (पथ प्रकाश)** **प्रभारी अधिकारी (पथ प्रकाश)**